रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड I
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 1973/श्रावण 26, 1895
No. 190] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 1973/SRAVNA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th August, 1973

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the year April* 1973-*March* 1974.

(Amendment No. 33).

No. 136-ITC(PN)73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters Contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1973-74 issued under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73, dated the 2nd April 1973 as amended from time to time.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book Vol. II	Reference	Amendments
108	B. 56.3 Col. 4	The existing asterisk marks before (a) and (h) may be deleted.
108	B. 56.9 Col. 5	The following may be inserted:— "The import of Urea Formaldehyde Synthetic Rosin, adhesive shall not exceed 25% of the face value of REP licences allowed against S. No. B. 56.9"

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक अधिसूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 1973

विषय :—अप्रैल, 1973 मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति

(संशोधन संख्या 33)

संख्या. 136–आई० टी० सी० (पी एन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 46–आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 2.4.73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
108.	बी. 56.3 ——— कालम—4.	वर्तमान (ए) तथा (एच) से पूर्व के तारक चिह्नों को हटाया जाए ।
108	बी. 46.9 ——— कालम—5.	"यूरिया फार्मेलडिहाइड सिन्थटिक रेजिन एडिसिव का आयात क्रम सं० बी. 56.9 के मद् स्वीकृत आर ई पी लाइसेंसों के अंकित मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा ।"

(Amendment No. 34).

No. 137-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Impor Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period April 1973/March 1974 published under the Ministry of Commrce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73 dated the 2nd April 1973.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

	Page No. of he Red Book (Vol II).	Reference	Amendments
1.	81	A. 121.2 ——— Col. 2	For he existing entry the following may be substituted: "Concrete mixers with Prime Movers."
2.	124-125	C. 33.1 ——— Col. 4	For entry(o) the following may be substituted :— "(o) Engraved Printing Rollers."

3. Consequent to the amendment at S.No. 1 in para 2 above the entry "Concrete mixers with Prime Movers as diesel engines A.121.2" appearing on page viii in the Classification of Export Product in Section IV of the said Red Book may be amended to read as "Concrete mixers with Prime Movers A.121.2."

4. The following items are classifiable under the Product Group "A. ENGINEERING GOODS" and fall under the serial numbers indicated against each:—

(i) Steel bolts brass plated . . . . . A. 4.2
(ii) C. I. Wheels . . . . . A. 7.1
(iii) H.P.M.V. Lamps . . . . . A. 77.2
(iv) Diesel powered Yachts of 300 HP Capacity without sails manufactured mainly out of fibre glass having a length of 35/ to 45/ . . . . . A. 147.
(v) Cobalt 60 Teletherapy Equipment . . . . . A. 163

5. The items mentioned in para 4 above may be inserted alphabetically at appropriate places under the Product Group "A. Engineering Goods" in the classification of Export Products in Section IV of the aforesaid Red Book.

6. The existing classification of the item "Diamond Core Drills" at page ix of Section IV of the said Red Book may be amended to read as "A. 129.1."

विषय :—अप्रैल, 1973 मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (*संशोधन संख्या 34*)

सं० : 137—आई टी० सी० (पी एन) /73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आई टी सी (पी एन)—73, दिनांक 2—4—73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या		संदर्भ	संशोधन
1.	81	ए. 121.2	वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित
		————	किया जाए :—
		कालम 2	"मुख्य चालकों के साथ कंक्रीट मिश्रक ।"
2.	124—125	सी—33.1	प्रविष्टि (ओ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित
		————	किया जाए :—
		कालम 4	"(ओ) उत्कीर्ण मुद्रा रोलर्स ।"

3. उपर्युक्त पैरा 2 की क्रम संख्या 1 पर के संशोधन के फलस्वरूप उक्त रेड बुक के खंड में निर्यात उत्पाद के वर्गीकरण के पृष्ठ 8 पर आई हुई प्रविष्टि "डीजल इंजन के रूप में मुख्य चालकों के साथ कंक्रीट मिश्रक . . ए 121.2 " को संशोधित कर " मुख्य चालकों के साथ कंक्रीट मिश्रक . . .ए. 121.2 " के रूप में पढ़ा जाए ।

4. निम्नलिखित मदें उत्पाद वर्ग "ए. अभियांत्रिक माल" के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं और प्रत्येक के सामने संकेतिक क्रम संख्याओं के अन्तर्गत आती हैं :—

(1) पीतल की पट्टी वाले इस्पात बोल्ट	ए. 4.2
(2) सी आई ह्वीले	ए. 7.1
(3) एच पी एन वी लैम्प	ए. 77.2
(4) बिना पाल के 3000 अश्व शक्ति की क्षमता वाले डीजल से चलने वाले याचट्स जो 36' से 45' की लंबाई में मुख्य रूप से कांच रेशे के बने हुए हैं	ए. 147
(5) गोबल 60 टेलेथरेपी उपस्कर	ए. 63

5. उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित मदों को उपर्युक्त रेड बुक के खंड 4 में निर्यात उत्पादों के वर्गीकरण में "ए. अभियांत्रिक माल" उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत उचित स्थानों पर शामिल किया जाए।

6 उक्त रेड बुक के खंड 4 के पृष्ट, 9 पर की मद हीरा गल्ली बरमा के वर्तमान वर्गीकरण को संशोधित कर ए. 129.1" के रुप में पढ़ा जाए।

Subject —Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973-March 1974 (Amendment No. 35)

No. 138-ITC(PN) 73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period April 1973-March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II).	Reference	Amendments
1	2	3
11	Para 39(b) Part B, Section I	For the existing item (xi) the following may be substituted:— "Stainless Steel in any form induding sheets, strips, circles, plates, bars, rods, scrap and other sections.
12	Para 40(d) Part B Section I.	For the first four lines the following may be substituted :— "Stainless Steel in any form including sheets, strips, circles, plates, bars, rods, scrap and other sections.
28	Annexure II to Part C, Section I	For the existing item 59, the following may be substituted :— "Stainless Steel in any form including sheets, strips, circles, plates, bars, rods, scrap and other sections.

1	2	3
96	B. 11.1 Col. 5.	After entry (ix) under remark(1), the following may be added:— "(x) Diethylamine against exports of: (a) Diethyl Carbamazine (b) Xylocaine (c) Amodiaquin (d) Nikethamide (e) Eiethylamino-ethanol."

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय :—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 35) ।

सं० 138—आई० टी० सी० (पी एन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 2-4-73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
11.	पैरा 39 (बी), भाग बी, खंड 1	वर्तमान मद (11) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— "किसी भी रूप में जंगावरोधी इस्पात जिस में चद्दरें, पट्टियां, सर्किल, प्लेटें, सलाखें, छड़ें, कतरनें और अन्य सेक्शन भी शामिल हैं । "
12.	पैरा 40 (डी), भाग बी, खंड 1	प्रथम चार पंक्तियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— "किसी भी रूप में जंगावरोधी इस्पात जिस में चद्दरें, पट्टियां , सर्किल, प्लेटें, सलाखें, छड़ें, कतरनें तथा अन्य सेक्शन भी शामिल हैं ।"

1	2	3
28.	भाग सी, खंड 1 के लिए अनुबंध 2	वर्तमान मद 59 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— "किसी भी रूप में जंगावरोधी इस्पात जिसमें चद्दरें, पट्टियां, सर्किल, प्लटें, सलाखें, छड़ें, कतरनें और अन्य सेक्शन भी शामिल हैं।"
96	वी. 11.1 ——— कालम 5	टिप्पणी (1) के अन्तर्गत प्रविष्टि (9) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :— "(10) निम्नलिखित के निर्यात के मदें डिएथिलेमिन:— (क) डिएथिल कार्बामेजिन (ख) जाइलोकेन (ग) अमोडिएक्विन (घ) निकेथेमाइड (ङ) डिएथिलेमिनो-एथानोल।"

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973